(Authoritative English Text of this Department Notification No.Health-A-A(1)-1/2013-Loose-III as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
FOOD SAFETY & STANDARDS AUTHORITY, HIMACHAL PRADESH

Health-A-H(1)-1/2013-Loose-II Dated: Shimla, the 19/12/2017

**NOTIFICATION**

WHEREAS, regulation 2.3.4 of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 prohibits the use of tobacco and nicotine as ingredients in any food products;

AND WHEREAS, Tobacco, containing Gutka or Pan Masala, Scented/ Chewing Pan Masala or Tobacco, Supari, Khaini, Masheri, Zarda, etc. known by any names are injurious to health;

AND WHEREAS, Gutka is an article of food which contains tobacco and now-a-days contains Tobacco, Nicotine and Magnesium Carbonate as ingredients; and thus contravenes regulation 2.3.4 of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations, 2011 as well as Regulation 3.1.7 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011;

AND WHEREAS, Pan Masala is an article of food which contains Magnesium Carbonate as an ingredient and thus contravenes Regulation 3.1.7 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011;

AND WHEREAS, it is expedient to prohibit the manufacture, storage, sale, distribution of products i.e. Gutka, Pan Masala, Scented/Chewing, Supari, Khaini, Masheri, Zarda etc. as final products containing Tobacco or Nicotine or Magnesium Carbonate as ingredients.

AND WHEREAS, I, the Food Safety Commissioner, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section 2 of Section 30 of the Act read with Regulation 2.3.4 and 3.1.7 of the aforesaid Regulations, prohibit the products marketed separately to constitute Gutka or Pan Masala, Scented/Chewing Pan Masala or Tobacco, Supari, Khaini, Masheri, Zarda etc. by whatever name these are

called as final products in the whole of the State of Himachal Pradesh for a period of one year from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh and further order that if the said products are manufactured, stored, sold/distributed in the State of Himachal Pradesh, the persons doing so, will be proceeded/penalized against as per the provisions of the Act ibid.

By Order

**Commissioner Food Safety-cum-**
**Principal Secretary (Health) to the**
**Government of Himachal Pradesh.**

Endst.No.As above
Dated: Shimla-2 19/12/2017

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Addl. Secretary (GAD) to the Govt. of H.P. Shimla-2
3. JLR-cum-Joint Secretary (Law-Legal) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
4. The PS to Hon`ble Chief Minister/Hon`ble Health Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
5. The Registrar General, Himachal Pradesh High Court, Shimla-1.
6. The Director of Health Services, Himachal Pradesh, Shimla-9.
7. The Director of Dental Health Services, Himachal Pradesh, Shimla-9.
8. The Director, Health Safety and Regulation, Himachal Pradesh, Shimla-9.
9. All the Head of Departments, Himachal Pradesh,
10. The State Drugs, Controller, H.Q. Baddi, Distt. Solan, Himachal Pradesh.
11. The Finance Department (Fin.-Exp.), Himachal Pradesh Secretariat, Shimla-2.
12. The Director, General of Police, Himachal Pradesh.
13. All the CMOs/Medical Superintendents in Himachal Pradesh.
14. The Section Officer, Health-B & Health-C.
15. All Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
16. All Distt. & Sessions Judge in Himachal Pradesh.
17. All the Adjudicating Officer (FSSAI) in Himachal Pradesh.
18. The Controller, Printing & Stationery, Himachal Pradesh, Shimla-5.
19. Guard file.

**(Parkash Chand)**
Dy. Secretary (Health) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश

स्वास्थ्य:ए.एच.(1)1/2013-लूज-II तारीख 19/12/2017 शिमला

## अधिसूचना

खाद्य सुरक्षा एवंम मानक (विकय पर प्रतिषेध और निर्बधन) विनियम, 2011 का विनियम 2.3.4 किसी खाद्य उत्पाद में तम्बाकू और निकोटीन का संघटकों के रूप में उपयोग प्रतिषिद्ध करता है।

किसी भी नाम से ज्ञात तम्बाकू युक्त गुटका या प्रान मसाला सुगंधित/चवर्ण पान मसाला या तम्बाकू, सुपारी, खैनी, मशेरी, ज़र्दा आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

गुटका एक खाद्य पदार्थ है, जिसमें तम्बाकू होता है और आजकल इसमें तम्बाकू, निकोटीन और मैग्नीशियम कार्बोनेट संघटक के रूप में सम्मिलित होते हैं; और इस प्रकार इससे खाद्य सुरक्षा एवंम् मानक (विकय पर प्रतिषेध और निर्बधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 3.1.7 का भी उल्लंघन होता है;

पान मसाला एक खाद्य पदार्थ है, जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट संघटक के रूप में सम्मिलित होता है; और इससे खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 3.1.7 का उल्लंघन होता है;

और संघटकों के रूप में तम्बाकू या निकोटीन या मैग्नीशियम कार्बोनेट से युक्त अंतिम उत्पाद नामतः गुटका, पान मसाला, सुगंधित/चवर्ण, सुपारी, खैनी, मशेरी, ज़र्दा आदि उत्पादों का विनिर्माण, भण्डारण, विकय और वितरण प्रतिषिद्ध करना समीचीन है;

अतः मैं, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 2.3.4 और 3.1.7 के साथ पठित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 34) की धारा 30 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी भी नाम से ज्ञात अंतिम उत्पाद के रूप में गुटका या पान मसाला, सुगंधित/चवर्ण पान मसाला या तम्बाकू, सुपारी, खैनी, मशेरी, ज़र्दा आदि को निर्मित करने के लिए पृथकतः विपणित उत्पादों को इस अधिसूचना के राजपत्र/ई–गजट, हिमाचल प्रदेश में

प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में प्रतिषिद्ध करता हूँ और यह भी आदेश देता हूँ कि यदि ऐसे उपरोक्त उत्पादों का हिमाचल प्रदेश राज्य में विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय/वितरण किया जाता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी/उसे दण्डित किया जाएगा।

आदेश द्वारा,

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं
प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि । तारीख शिमला–2, 19/12/2017

1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
2 अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासनिक विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
3 जे.एल.आर. एवम् संयुक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
4 निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
5 रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला–1
6 निदेशक, स्वास्थ्य विभाग सेवाएं, शिमला–9
7 निदेशक, दंत स्वास्थ्य विभाग सेवाएं, शिमला–9
8 निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा एंव विनियम, शिमला–2
9 समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
10 राज्य औषधी नियन्त्रक, मुख्यालय बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ।
11 वित–विभाग, (वित व्यय) हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला–2
12 महा–निदेशक पुलिस, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
13 समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक अधिक्षक, हिमाचल प्रदेश ।
14 अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य–बी और स्वास्थ्य–सी ।
15 समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
16 समस्त जिला अधिवेशन न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
17 समस्त न्यायीक अधिकारी (FSSA) हिमाचल प्रदेश ।
18 नियन्त्रक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5
19 गार्ड फाइल ।

(प्रकाश चन्द)
उप सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।